

Sale Rs. Area Rent Stamp
11,000/- Rupees 07 Dec 2021 44000/-



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 67e79c955377e705c2cd

Receipt Date : 23-Mar-2021 02:12:55 pm

Receipt Amount : 44000/-

Amount In Words : Forty Four Thousands Rupees Only

Token Number : 20210000039204

Office Name : SRO - Gumla

Document Type : Sale Deed

Payee Name : NAND KUMAR BARAIK (Vendee)

GRN Number : 2105176665



-: For Office Use :-

2021/GUM/625/BK1/619

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रकाशित तिथि-जारी होने की तिथि का अंतिम तिथि
छवि के बाहर च्याप-बचा-है।

नन्द कुमार बड़ा/इक्षु
23/03/2021



पार्श्व दर्शकीय पंजी से मिलान किया
खसी खसा।

अमृतलिङ्गिकृ
नाम मोकिर

वन अधीक्षि सूची से जौधा
प्राप्ति दी चर्चा दाया

AMRIT
23/03/2021

नाम मोकिर
अलैह

Map attached
with permission of the
Administrator of the year 69 of 20-21
दी प्राप्त 46 के अधिन
भारतीय स्टाम्प अधिनियम
इंडिया स्टाम्प एक्ट 1899 का अनुच्छेद
(या) के संख्या 23 के
अधिन यथावत स्टाम्प
सहित (या) स्टाम्प शुल्क से नियुक्त
का स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं।

of 3-3-2021

receipt

Ad 33000	Rs 33000
Each 3/-	1/-
Perce 1/-	1/-

अंचल 23075 मौजा 23077 थाना नं. 09
के खाता सं. 84 एवं प्लॉट सं. 1398
का प्रतिबंधित सूची से मिलान किया
एवं प्रतिबंधित सूची से मुक्त घाया।

AMRIT
23/03/2021

— पोलीकार्प टोप्पो वल्ड स्व० वृश टोप्पो जाति उराँव
पेशा नौकरी (सेवा निवृत्त) साकिन मौजा मधुबाला

गली गुमला थाना गुमला जिला गुमला हालमोकाम
एच०न०५२ जोन नं०४ रोड नं०५ बिरसा नगर
जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम भारतीय नागरिक।

आधार संख्या :- 815530277642

मोबाइल नं० :- 8877160688

पैन सं० :- APPPT55120

श० प० नं० :- 174/2021

— नन्द कुमार बड़ाईक वल्ड स्व० अहलाद बड़ाईक
जाति चीक बड़ाईक पेशा कास्तकारी साकिन मौजा
रामपुर थाना वो जिला गुमला भारतीय नागरिक।

आधार संख्या :- 570371774186

मोबाइल नं० :- 8709682605

पैन सं० :- AFCPB5303E

श० प० नं० :- 175/2021

नन्द कुमार बड़ाईक

किसीम वसिका :— बिक्री वैला कलामी हमेशा के लिए जिसकी सलाने मालगुजारी मो० 0.50 रुपैया (पचास पैसा) अलावे शेष।

तायदाद रुपैया :— जरसमन मो० 1100000/- (ग्यारह लाख) रुपैया

जायदाद :—

मवाजी 0.07 ए० (सात डी०) जमीन टांड़ अपना हक् वो हिस्सा खरीदगी जिला निबंधन कार्यालय गुमला में निबंधित पट्ठा संख्या 1496 सन् 1995 गुलि खड़ियाईन जौजे स्व० रिपो खड़िया बनाम पोलिकार्प टोप्पो वगैरह द्वारा हासिल है जिसका बुक नं० 1 भो० नं० 109 पेज नं० 24 से 27 वो पट्ठा संख्या 1497 सन् 1995 गुलि खड़ियाईन जौजे स्व० रिपो खड़िया बनाम पोलिकार्प टोप्पो वगैरह द्वारा हासिल है जिसका बुक नं० 1 भो० नं० 109 पेज नं० 28 से 31 में निबंधित है जिसका नामान्तरण वाद संख्या 53/97-98 जो अंचल कार्यालय गुमला के भो० नं० 9 पेज नं० 108 में पोलिकार्प टोप्पो वगैरह के नाम से दर्ज है जिसका रसिद नं० 0102160333 है वो जिसका होल्डिंग नं० 0200000565000M0 है जिसका अन्दर खाता नं० 84 वाके मौजा गुमला पुराना वार्ड नं० 20 वो नया वार्ड नं० 22 थाना गुमला थोना नं० 59 जिला गुमला जिसके मुतअलके कलेक्ट्री वो डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला वो सब डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला अन्दर जमीनदारी झारखण्ड सरकार बजरीये सर्किल ऑफिसर गुमला अंचल जमीन आवासीय योग्य।

पोलीकार्प दोषी

टट. 22-३-२९

ता० 22/03/2021

पटा वस्त्रना 21/03/2021

आद्य १५/०२/२०२१ ८६७९ २०३८
स्टॉ ९३०४२६८९८९

तफसील जमीन :— खाता नं० प्लाट नं० नाम जमीन रकबा

84	1398	नगड़ा टांड़	0.07 ए०
{चौरासी}		{एक हजार तीन सौ अनठानबे}	{सात डी०}

चौहदी :—
उत्तर — पी० सी० सी० सड़क
दक्षिण — नीज विक्रेता
पूरब — श्रीमति सुनिता किडो का घर
पश्चिम — नीज विक्रेता

पैमाईश :—
उत्तर तरफ जानिब पुरब से पश्चिम 37'
दक्षिण तरफ जानिब पुरब से पश्चिम 37'
पुरब तरफ जानिब उत्तर से दक्षिण 83'3"
पश्चिम तरफ जानिब उत्तर से दक्षिण 83'3"

कुल रकबा सात डीसमिल खाली भूमि।

नक्शा संलग्न है।

चूंकि मनमोकिर मोकिर अलैह दोनों आदिवासी है इस लिए बिना परमिशन का रजिस्ट्र नहीं हो सकता है इस लिए परिमिशन के लिए न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला के यहाँ आवेदन दिए जिसका केश नं० 690/2020-21 पड़ा उसके बाद न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला ने मनमोकिर का आवेदन पत्र की दूसरी प्रति जाँच हेतु अंचल अधिकारी, गुमला को भेजे। अंचल अधिकारी, गुमला ने मनमोकिर का राजस्व कागजात से जाँच पड़ताल कर सही पाकर बिक्री करने का अनुशंसा कर न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला को वापस भेजे उसी जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वो मनमोकिर का व्यान अंकित कर सही पाकर दिनांक 03/03/2021 को बिक्री करने का अनुमती दिए। अनुमती पाकर आज बिक्री कर रहे हैं।

गोलीकुमार टोटो
२१.२२.३.२१

2021 म. ३. २२

आठात्तून उत्तर ३५९७५६९०२६
८८६०९१२८५-५५

मनमोकिर को रूपैया के जरूरी वास्ते मकान बनाने एवं अन्य कार्यों का हुआ के मोकिर अलैह से मो० 1100000/- (ग्यारह लाख) रूपैया नगद लिया वो रूपैया मजकूर को जरसमन करार दे कर खाना नं० 5 का जमीन को आज के रोज से बेचा वो बिक्री वैला कलामी किया चाहिए अब सय बिक्री में आज के रोज से खरीददार मजकूर को खुद दखलकार होकर वो रह कर अपने मसरफ में लावें के सय बिक्री में मनमोकिर वारिसान कायम मोकामियान का जिस किसीम का हक वो दावी था अइन्दे होता सो सब हक वा दावी खरिददार मजकूर को हुआ वो सय बिक्री का खारिज दाखिल स्टेट ऑफ झारखण्ड के सिरीस्टे में करा कर खास रसीद लिया करेगें। इसमें मनमोकिर वारसान काएम मोकामियान को कोई उज्जूर नहीं है वो न आएन्दे होगा इसलिए अपने खुशी वो राजी से कुल रूपैया वसुल पाकर बिक्री वैला कलामि लिख दिया के वर्ख्त पर काम आवें।

आज तारीख 19/03/2021 ईश्वी मोकाम गुमला

यह घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण (सैनिक या असैनिक) ही किया गया है। यह घोषित करते हैं कि प्रासांगिक भूमि, भूदान, भूदान भूहदबन्दी लीज, भूअर्जन तथा भूवन्दोबस्ती की नहीं है। यह भूमि खनन एवं वन सीमा से बाहर है कि यह भूमि मठ, मन्दिर, गिरजा, मस्जिद, सरना तथा गुरुद्वारा का नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रासांगिक भूमि की बिक्री पूर्व में नहीं की गई है। यह जमीन प्रतिबंधित सूची से बाहर है।

मैं लेख्यकारी घोषणा करता हूँ कि इनरेंजिड भूहदबन्दी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधिन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बिक्री की जाने वाली जमीन भूहदबन्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

ଦୋଷିକାର୍ଥ ଟେଲ୍‌ଫୋ-

ST. 22-2-29



214

ନାରୀ ମଦ୍ଦମ୍ବ ପାଇଁ କାଳିତଥି


ନେତ୍ରକୁଣ୍ଡଳାଶ୍ଵର

१८५२-१८५३

CTT. 22-2-29

मैं लेख्यधारी घोषणा करता हूँ कि झारखण्ड भूहदबन्दी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधिन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा खरीदगी की जाने वाली जमीन भूहदबन्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

नन्द कुमार बड़ाईक
२२-३-२१



प्रम

माझी जमीन अनामिका लाइन

यो लाइन टोइप

रा. २२-३-२१

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में 5 पेज टोइप किया गया है जिसमें खंडन नहीं है।

ड्राफ्टकर्ता *Manjor Sahn Advocate* गुमला के ड्राफ्ट पर बिक्री वैला कलामी टंकित किया वो पढ़ कर सुना व समझा दिया।

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी एवं लेख्यधारी का फोटो दस्तावेज में लगा है एवं बाये हाथ के पाँचों अगुलियों का निशान दस्तावेज में मेरे समक्ष लिया गया।

*M. Sahn
-Advocate
23.3.81*


टंकक

मानोर सहन

प्रभात दास

ड्राफ्टकर्ता का हस्ताक्षर

नन्द कुमार बड़ाईक



cf 641
15/3/19

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहता, गुमला

अनुमति वद संख्या - 690120-21

पोलीकार्प टोप्पी

बनाम

आवेदक

०१-८ कुमार बडाई

विषय

आदेश



आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती पोलीकार्प टोप्पी


पिता/पति राम बुशी टोप्पी निवास,
ग्राम गुमला थाना गुमला जिला गुमला, ने निम्नांकित
विवरणी की भूमि बिकी करने हेतु अनुमति के निमित्त छाटानागपुर काशतकारी अधिनियम
1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के
आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व	थाना का नाम	खाता	खाता	रकवा
ग्राम	एवं संख्या	संख्या	संख्या	(एकड़)
गुमला	गुमला	84	13.98	0.07
	59	(संग्रहित)		

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित केता
श्री/श्रीमती ०१-८ कुमार बडाई का पिता/पति राम बुशी टोप्पी
निवासी ग्राम रामपुर थाना गुमला जिला गुमला को राशि रूपये 11, (एक लाख चाहते)
गुमला को राशि रूपये 11, (एक लाख चाहते) पर बिकी करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को भूकान बनाने/इर्तीज
हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रूपये की आवश्यकता है, रूपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत
नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिकी कर रहे हैं।
अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम
ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के
पत्रांक ३३३ देनांक १६/२/२०२१ के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,
जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जर्मीन विदी करने के लिए अनुमति

न्याय कुमार बडाई



करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के ब वजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिकी के बाद भी आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक / आवेदिका / अवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी / खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरुआ आम / खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हृदबन्धी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के लोग हैं, साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी गुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा

के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक / आवेदिका / आवेदकगण श्री / श्रीमती गुमला गति गुमला द्वारा पिता / मति एवं दुश्मानी टेका निवासी ग्राम गुमला गति गुमला द्वारा थाना गुमला जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निवासी गुमला द्वारा कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिकी करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद धारा प्रदान की जाती है।

अनुमति

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (एकड़)
गुमला	गुमला 84	84	1398	0.07 एकड़

(कुल दाता छिपामिल)



उत्तर- पी. ली. सी. सं. ८५

दक्षिण- नीज बिक्री

पूरब- श्री मती दुनीता मिशन काचर

पश्चिम- लीज बिक्री


लेखापिन्ड एवं संशोधित

भूमि सुधारका उप-समाहता,

भूमि सुधारका उप-समाहता,

गुमला।

नन्द कुमार बिक्री



प्र० ६५
१६/१/२०२१

शोपांडु

65

रु० १८०

१६/१/२०२१

भूमि सुधार उपसमाहर्ता गुमला को जीव पुरिवेदन ऐंग्राम
इच्छितर का तोहत है पूरित।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गुमला।

अनुमति वाद संख्या :- 690/2020-21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
गुमला।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता गुमला को जीव पुरिवेदन ऐंग्राम पिता स्व० वृश टोप्पो जाति उर्चाव पेशा नौकरी साकिन मौजा मधुबाला गली गुमला थाना वो जिला गुमला हालमोकाम एच० नं० 52 जोन नं० 4 रोड नं० 5 विरसा नगर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभुमि आवेदक।

बनाम

- नन्द कुमार बड़ाईक पिता स्व० अहलाद बड़ाईक जाति चीक बड़ाईक पेशा कास्तकारी साकिन मौजा रामपुर थाना वो जिला गुमला।
- हर आम वो खास वाके मौजा सरनाटोली पुराना वार्ड नं० 20 नया वार्ड नं० 22 थाना गुमला थाना नं० 59 जिला गुमला।
- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी गुमला।

विष्क्री।

दस्तखास्त अन्दर दफा 46 सी० एन० टी०


के अन्तर्गत -

सविनय निवेदन है कि आवेदक द्वारा आवेदित भूमि मौजा गुमला थाना गुमला थाना नं० 59 अन्दर खाता नं० 84 जो आवेदक का खरीदगी भूमि है जिस पर आवेदक शायल माल शेष के अदा करते चले आ रहे हैं।

हाल का सूरत ऐसा है कि आवेदक को रूपये की जरूरत वास्ते जरूरी काम का दर पेश हुआ है जमीन बिक्री किये बगैर रूपये का इन्तजाम नहीं हो सका इसलिए विष्क्री संख्या एक के साथ नीचे वर्णित भूमि को बिक्री करने की बात चीत किया वो कुल

M
20/1/21
18/1/21

नन्द कुमार बड़ाईक



रुपैया 11,00,000/- (एयारह लाख) में बात तथ्य पाकर अग्रिम के रूप में सो० रुपैया 1,00,000/- (एक लाख) लेकर अपना काम में दर लाया वो जरसमन के बदले जमीन को बिक्री लिख देना तथ्य किया बाकी रुपया रजिस्ट्री के समय विपक्षी संख्या एक आवेदक को देगें।

आवेदक एवं विपक्षी संख्या एक दोनों अनुसूचित जन जाति के उराँव वो चीक बड़ाईक जाति के सदस्य है इसलिए अनुमति प्राप्त करना जरूरी हुआ। आवेदक एवं विपक्षी एक ही थानां क्षेत्र के रहने वाले हैं।

आवेदक द्वारा आवेदित भूमि सरकारी नहीं है न ही सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है। यह भूमि सिलिंग, भूदान, भूदबन्दी खनन एवं वनसीमा की परिधि की नहीं है। यह भूमि में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। इस भूमि की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचती है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदक को नीचे वर्णित भूमि को विपक्षी के नाम निर्धारित कीमत पर बिक्री करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

तफसिल जमीन मौजा गुमला थाना गुमला थाना नं० 59

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
84	1398	0.07 ए०

चौहदी :-

- उत्तर :- पी० सी० सी० सड़क
- दक्षिण :- नीज विक्रेता
- पूरब :- श्रीमति सुनीता किड़ो का घर
- पश्चिम :- नीज विक्रेता


आवेदक

13312

M. Sahu

M. Sahu
18.1.2

प्रोलिकार्प टोपी



प्रगति-333

कार्यालय अंचल अधिकारी, गुमला। (दिनांक-26-02-2021)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत भूमि विकी/बख्सीस/बंधक की जाने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन

1. वाद संख्या:- 690/2020-21

2. विकेता/बख्सीस कर्ता/बंधक कर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता:- पीलीकापियाप्राची पिटाल्हा बुझ चौपा, मैठा-मधुबाला गलीगुमला, वाजाकी आला-गुमला, वाष्णवीकाम रुचन नं 55 जीन नं 4 रोड नं 5 विरसानगर अमरपुर पट्टी गुमला ग्राम आति अर्थ

3. खाता/बख्सीस प्राप्तकर्ता/बंधक प्राप्तकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम, जाति एवं पता(साक्ष्य संलग्न कथे) - नाई युमार बड़ाहिल पिटाल्हा आला बड़ाहिल, मैठा-वामपुर, वासाकी आला-गुमला, जाति-चीक लूटहिल

मौजा गुमला खाता 84 प्लॉट 1398 रकवा ५०५.७० (सम)

विकेता से संबंधित विवरण:-

1. प्रस्तावित भूमि का खतियानी विवरण:-

मौजा का नाम एवं थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा	खतियानी रैयत का विवरण
गुमला-59	84	1398	1-60	पीलीकापियाप्राची पिटाल्हा बुझ चौपा

2. वर्तमान पंजी || रैयत का विवरण:-

पंजी का पृष्ठ संख्या एवं भाग	पंजी में दर्ज खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	पंजी में दर्ज होने का आधार एवं अंतिम लगान रसीद निर्गत होने का वर्ष	पंजी रैयत का नाम
108 IX	84	1398	०-८००	३०८०-५३/१३४ २०१६-७	पीलीकापियाप्राची चौपा बुझ चौपा वासाकी गुमला ग्राम पंजीयन भारिया भुस चौपा प्रस्तावित गुमला ग्राम

3. खतियानी रैयत के साथ पंजी || रैयत का संबंध:- दूसरी


4. खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध:- तर्केवाला

5. पंजी || रैयत से आवेदक का संबंध:- दूसरी

कर्मचारी के द्वारा स्थनीय जाँच प्रतिवेदन:-

स्थानीय जाँच की तिथि एवं समय	आवेदक के द्वारा धारित भूमि का रकवा	विकी/बख्सीस/बंधक हेतु प्रस्तावित रकवा	विकी/बख्सीस/बंधक के प्राचात् शेर, रकवा	प्रस्तावित भूमि का बाजार मूल्य
२५/०२/२०२१	०.४० एक अंश १० पर्याप्त १०६८.००	०.४० एक अंश १० पर्याप्त १०६८.००	०.१८ एक अंश १० पर्याप्त ११८२.००	प्रस्तावित भूमि का बाजार मूल्य
२.३०.१.०.	१३.४३१०		१३.३६८०	

नन्द कुमार बडाई



1. क्या प्रस्तावित भूमि पर किसी के द्वारा किसी प्रकार का पूर्व क्रण लिया गया है?
2. क्या प्रस्तावित भूमि किसी प्रकार से विवादित है?
3. क्या प्रस्तावित भूमि आवेदक के हिस्से/दखल की भूमि है?
4. वर्तमान में आवेदित भूमि पर किसका दखल है?
5. आवेदक को यह भूमि किस प्रकार हासिल है? M.C.P.O. 53/95-98 के द्वारा
6. क्या प्रस्तावित भूमि से संबंधित किसी प्रकार का मामला किसी न्यायालय में लंबित है?
7. क्या प्रस्तावित भूमि किसी प्रयोजनार्थ अर्जित की गई है?
8. क्या आवेदित भूमि आवेदक को पंजी || रेयत को भू-वंदोवस्ती/भूदबंदी/गृहस्थल से प्राप्त है(पूर्ण विवरण दें)?
9. क्या पंजी || पूर्णतः जाँच किया गया है. किसी प्रकार का दोहरी जमा बंदी का मामला प्रतित होता है?
10. विकेता एवं केता किस थाना के निवासी हैं? इक्की वाना शुमला के निवासी हैं।
11. विकेता द्वारा किस प्रयोजनार्थ भूमि विकी किया जा रहा है? अखरी जमावाले
12. आवेदित भूमि गैरमजरुआ आम/खास/कैसरे हिन्द/भूदान/सिलिंग से बाहर है?
13. विकेता का वंशावली:-

पुष्ट दीप्ति

① धोली कापि दीप्ति ② भोरठ दीप्ति ③ बीरि दीप्ति ④ मारियादुख दीप्ति
(पिकेता)

केता से संबंधित प्रतिवेदन:-

1. केता किस भौजा के भूल निवासी हैं? शुमला
2. केता द्वारा धारित भूमि की विवरणी:-

भौजा का नाम एवं थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	धारित भूमि का रक्खा	खतियान की विवरणी/पंजी की विवरणी	खतियानी रेयत/ पंजी रेयत के साथ केता का संबंध
शुमला 59	14.	-	०.०५००	इनके शुमला व जमावाले पिता वाना शुमला ५३/१९६	स्वयं

हल्का कापि दीप्ति वाले निरीक्षक का स्पष्ट मत्त्य की दृष्टि दीप्ति की नों अनुसूचित गण-गति के सदृश एवं इक्की वाना शुमला के निवासी हैं। विकेता इसके पंजी वारकरैयत है।

विकेता की दृष्टि दीप्ति की नों अनुसूचित गण-गति के सदृश एवं इक्की वाना शुमला के निवासी हैं। विकेता इसके पंजी वारकरैयत है।

